न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 663/2019

1 गुरमेल सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 निर्भय सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 राज सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 गुरतेज सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 दर्शन सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 वीरपाल कौर उर्फ अमरजीत कौर पत्नी सुखपाल सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 हरबंस सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 वीरपाल कौर उर्फ कुलजीत कौर पत्नी गुरदीप सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थित :–

1 श्री देवप्रकाश चावला अधिवक्ता — वादीगण

2 श्री कंचन सेतिया मुंजाल अधिवक्ता — प्रतिवादी संख्या 1 ता 4

3 राजपैरोकार — वास्ते स्टेट

निर्णय **दिनांक :** 31/10/19

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि वादीगण ने प्रतिवादीगण के विरूद्व अन्तर्गत 88 आर.टी.ए. के तहत इस न्यायालय में इन अभिकथनों के साथ प्रस्तुत किया कि चक 4 बी एन डब्लयू के खाता संख्या 115/111 के मु.न. 34 के कि.न. 1 में 0.191 है., कि. न .10 में 0.253 है., नहरी, कि.न .11 में 0.253 है. नहरी कि.न. 20 में 0.253 है. नहरी कि.न. 21 में 0.253 है. नहरी कुल 1.203 है. नहरी आराजी दर्ज कागजात माल है। तथा उक्त आराजी प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के नाम से ब.हि.ब. दर्ज कागजात है तथा उक्त आराजी का खाता दोनों अर्थात प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिंह वा प्रतिवादी संख्या 3 हरबंस सिह के नाम से कायम है नकल जमाबदी संलग्न वाद पत्र है। चक 4 बी एन डबलयू के खाता संख्या 61/63 के म.न .57 कि.न. 15 ता 25 में 2.783 हे. नहरी आराजी दर्ज कागजात है जिसमें से कि.न. 15 ता 19 सालम कि.न. 21 की 0.127 है. कि.न .22 ता 25 सालम कुल 2.404 है. नहरी आराजी के शमशेर सिह के वारिसगण

वा हरबंस सिंह ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार है। मु.न .57 की 2.783 हे. का खाता उक्त पक्षकारों के नाम से अलग कायम है। वाद पत्र की मद संख्या 3 व 4में प्रतिवादी संख्या 1 वा3 के नाम दर्ज वादाधीन आराजी के अलावा भी प्रतिवादी संख्या 1 वा 3 के नाम अन्य खातों में आराजी दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तहसील सादुलशहर के पटवार हल्का बनवाली के चक 4 बी एन डब्ल्यू खाता संख्या 86/75 में प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिंह के नाम 2.150 है. एव प्रतिवादी संख्या 3 हरबंस सिह के नाम 1.771 हे. आराजी दर्ज कागजात है। वादपत्र की मद संख्या 2 वा 4 में प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 3 के नाम दर्ज आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी एव जददी जायदाद है जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा कानूनन बनता है अपने नाम दर्ज आराजीयात को लेकर परिवार में किसी प्रकार का कोई मनमुटाव या झगड़ा ना रहे तथा वादीगण को अपने परिवार के भरण पोषण एव जीवनयापनआवश्यकताओं को पूरा करने के लिये किसी के भरोसे एव अधीन ना रहना पड़े इस बात को मध्यनजर रख कर अर्सा पूर्व प्रतिवादीगण द्वारा अपने नाम दर्ज मद संख्या 1 व 2 मे वर्णित वादाधीन 1.203 है. +0. 379 है. कुल 1.582 है. आराजी अपने नाम दर्ज आराजी को काश्त की सुविधा एंव परिवार की जिम्मेवारियों को मध्यनजर रख कर घरू बंटवारा के हित उक्त वर्णित 1. 582 है. आराज अपने अपने पुत्रों वादीगण को छोड़ कब्जा आराजी सम्भलवा दिया थ वादी संख्या 1 व 2 प्रतिवादी संख्या 1 दर्शन सिंह व वादी संख्या 3 व 4 प्रतिवादी संख्या 3 हरबंस सिह के नाम दर्ज आराजी पर मुताबिक घरू बंटवारा के साधिकार काबिज काश्त हुये एव आज मौका पर भी काबिज काश्त है। वगैरा–वगैरा।

लिहाजा दावा पेश कर निवेदन है कि चक 4 बी एन डब्लयू के खाता संख्या 115/111 में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 दर्शन सिंह व हरबंस सिह पिसरान मुख्तयार सिह के नाम दर्ज मु.न. 34 कि.न. 1, में 0.191 है. कि.न. 10 में 0.253 है. कि.न .11 मे 0.253 हे. नहरी, कि.न. 20 में 0.253 हे. नहरी, कि.न .21 में 0.253 है. नहरी कुल 1.203 हे. नहरी आराजी के वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1व 3 का नाम कलमजन किया जाव। चक 4 बी एन डब्लयू के खाता संख्या 61/63 में दर्ज कुल 2.783 है. नहरी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 व 3 दर्शन सिंह, हरबंस सिंह पिसरान मुख्तयार सिह के नाम दर्ज मु.न .57 कि.न 20 में 0. 253 है. कि.न. 21 में 0.126 है. नहरी कुल 0.379 है. नहरी आराजी के वादीगण को ब. हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का नाम कलमजन किया जावे एंव प्रतिवादीगण के विरूद्व स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जावे।

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया, प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 ने जरिये वकील उपस्थित होकर वादपत्र के समर्थन में राजीनामा पेश किया एव वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। जवाब स्टेट पेश हुआ राज्यहित को ध्यान में रखते हुये वाद वादीगण मे उचित आदेश फरमाये जाने की इस्तदुआ की गयी।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गयी । दौराने बहस वकील वादीगण ने दावा के तथ्यों को दोहराते हुये वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन किया एव वकील प्रतिवादीगण ने वादीगण के कथनों में अपनी सहमति प्रकट की। पत्रावली का अवलोकन किया गया । वादीगण प्रतिवादी संख्या 1व 3 के पुत्र है एव वादीगण ने वादाधीन सहदायिकी सम्पति में मुताबिक पारिवारिक बंटवारानूसार अपने अपने हक हिस्सा की आराजी की घोषणा की मांग की है जो कि उभयपक्षकारान ने वादीगण के कथनानूसार राजीनामा पेश किया है एव वादीगण की कब्जा काश्त को स्वीकार किया है वादीगण मुताबिक पारिवारिक बंटवारा वादाधीन आराजी पर काबिज काश्त है एव

साक्ष्यों, अभिकथनों, बहस एव राजीनामा के आधार पर बखूबी साबित किया है वाद वादीगण मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाना न्यायोचित है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार सादुलशहर को आदेशित किया जाता है किः— चक 4 बी एन डब्लयू के खाता संख्या 115/111 में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 दर्शन सिंह व हरबंस सिह के नाम दर्ज मु.न. 34 कि.नः 1, में 0.191 है. कि.न. 10 में 0.253 है. कि.न .11 मे 0.253 हे. नहरी, कि.न. 20 में 0.253 हे. नहरी, कि.न .21 में 0.253 है. नहरी कुल 1.203 हे. नहरी आराजी में वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं चक 4 बी एन डब्लयू के खाता संख्या 61/63 में दर्ज कुल 2.783 है. नहरी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 व 3 दर्शन सिंह, हरबंस सिंह पिसरान मुख्तयार सिह के नाम दर्ज मु.न .57 कि.न 20 में 0.253 है. कि.न. 21 में 0.126 है. नहरी कुल 0.379 है. नहरी आराजी में वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक उक्त खातों से प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का नाम कलमजन किया जाता है, उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम अंकन किया जावें। उक्तानूसार ही पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 31/10/19 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/19

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
सादुलशहर

संख्याक–01

मूल वाद में डिक्री (आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्डाधिकारी सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी का नाम :– हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :– 663/2019

1 गुरमेल सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 निर्भय सिंह पुत्र दर्शन सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 राज सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 गुरतेज सिंह पुत्र हरबंस सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

वादीगण

बनाम

1 दर्शन सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

2 वीरपाल कौर उर्फ अमरजीत कौर पत्नी सुखपाल सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

3 हरबंस सिंह पुत्र मुख्तयार सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

4 वीरपाल कौर उर्फ कुलजीत कौर पत्नी गुरदीप सिंह जाति जट सिख निवासी बनवाली तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर

5 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

डिक्री

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ हवाई सिंह यादव वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री देवप्रकाश चावला वकील वादीगण मिन जामिन मुद्दई श्री कंचन सेतिया मुन्जाल वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुद्दायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तहसीलदार (राजस्व) सादुलशहर को आदेशित किया जाता है कि:– चक 4 बी एन डब्लयू के खाता संख्या 115/111 में प्रतिवादी संख्या 1 व 3 दर्शन सिंह व हरबंस सिह के नाम दर्ज मु.न. 34 कि.न. 1, में 0.191 है. कि.न. 10 में 0.253 है. कि.न .11 मे 0.253 हे. नहरी, कि.न. 20 में 0.253 हे. नहरी, कि.न .21 में 0.253 है. नहरी कुल 1.203 हे. नहरी आराजी में वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं चक 4 बी एन डब्लयू के खाता संख्या 61/63 में दर्ज कुल 2.783 है. नहरी आराजी में से प्रतिवादी संख्या 1 व 3 दर्शन सिंह, हरबंस सिंह पिसरान मुख्तयार सिह के नाम दर्ज मु.न .57

वादीगण को ब.हि.ब. के खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है एवं इस हद तक उक्त खातों से प्रतिवादी संख्या 1 व 3 का नाम कलमजन किया जाता है, उक्तानुसार ही राजस्व रिकार्ड मे वादीगण के नाम अंकन किया जावें। बसख्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 31/10/19 को जारी किया गया।

हवाई सिंह यादव (आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
सादुलशहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hawai Singh Yadav
Date: 2019.11.11 10:58:34 IST
Reason: SelfAttested
Location: